राधिका झा I.A.S
राज्य परियोजना निदेशक

"उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद"
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून
website: http://ssa.uk.gov.in/
E-mail - spd-ssa-uk@nic.in
फोन/फैक्स : 0135 –2781941, 2781942, 2781943

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।

पत्रांक : रा0प0का0/554/सामु0सहभागिता/2014–15 दिनांक 01 जुलाई/जून, 2014

विषय : वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में गणवेश वितरण एवं सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि भारत सरकार से **वर्ष 2014–15** की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न गतिविधियो का वार्षिक पंचाग के अनुसार ससमय क्रियान्वयन किया जाना है। सभी जनपद गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गतिशीलता हेतु समयबद्ध नियोजित रणनीति बनाकर सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क के अनुसार निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए गतिविधियों का सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे–

1. **<u>सामुदायिक प्रशिक्षण</u>** :–

- शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप ही विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का पुर्नगठन कर नियमानुसार प्रत्येक माह अनिवार्यतः बैठक सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक का विवरण प्रस्ताव पंजिका पर अंकित किया जायेगा तथा बैठकों में सम्बन्धित संकुल/ब्लॉक समन्वयक भी समय–समय पर प्रतिभाग करेंगे। बैठक का फीडबैक सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
- वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में सामुदायिक प्रशिक्षण हेतु जनपदवार प्रति प्रशिक्षणार्थी रु0 100.00 प्रति दिन की दर से सी0आर0सी0 स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण स्वीकृत है। प्रशिक्षण में प्रत्येक विद्यालय प्रबन्धन समिति से वे ही 06 सदस्य (अध्यक्ष को छोड़कर) प्रतिभाग करेंगे जिनके द्वारा विगत वर्ष के प्रशिक्षण में प्रतिभाग न किया गया हो। भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2014–15 का सामुदायिक प्रशिक्षण चरणवार एक–एक दिन का क्रमशः माह अगस्त, सितम्बर एवं नवम्बर में सम्पादित कराया जाना है। जनपद सामुदायिक सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर प्रशिक्षण का शिड्यूल तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगे।
- वार्षिक पंचाग के अनुसार राज्य स्तर पर माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में 02 दिवसीय मुख्य सन्दर्भदाता अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन व तत्पश्चात जिला स्तर पर जुलाई अन्तिम सप्ताह में मास्टर ट्रेनर तैयार किये जायेंगे। जनपद स्तर पर प्रशिक्षण के सफल सम्पादन हेतु योग्य, कर्मठ व निपुण सन्दर्भदाता/वक्ता को रखा जाए ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनी रहे। प्रशिक्षण में एम0टी0 के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक/अभिकर्मी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाए। प्रशिक्षण सम्बन्धी सम्बोधों पर विशेषज्ञों (वित्त, निर्माण कार्य, आर0टी0ई0) एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किये जायें। संकुल स्तरीय प्रशिक्षण हेतु 02 संदर्भदाताओं एवं 01 नोडल अधिकारी का चयन कर माह जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सूची तैयार कर ली जाए।
- प्रशिक्षण को प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल के अतिरिक्त पोस्टर, फोल्डर व प्रशिक्षण के मध्य में अभिप्रेरण फिल्में भी दिखायी जायें। संकुल स्तर पर प्रशिक्षण से सम्बन्धी फीडबैक संकलित कर बी0आर0सी0 स्तर पर जमा किया जाए। सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षण की सूचना प्रशिक्षण से 15 दिन पूर्व दी जाये ताकि सभी सदस्य मानसिक रूप से तैयार हो सके।

2. **<u>प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ</u>** :–

- सभी जनपद शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन, बच्चों के शतप्रतिशत नामांकन एवं व्यापक जनजागरूकता हेतु प्रबन्धन मद (0.5 प्रतिशत) में प्रचार–प्रसार हेतु गतिविधिवार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सामुदायिक अभिप्रेरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन निर्धारित समय पर करना सुनिश्चित करेंगे। वर्ष 2014–25 के पी0ए0बी0 कार्यवृत्त के प्रचार–प्रसार मद में शिक्षा अधिकार अधिनियम पर

अभिमुखीकरण कार्यशाला/जागरूकता शिविर, सपनों की उड़ान कार्यक्रम, स्थानीय मेलों में आर0टी0ई0 का व्यापक प्रचार–प्रसार, इलेक्ट्रानिक/फोक/प्रिन्ट मीडिया, वॉल पेन्टिंग, होर्डिंग्स, अभिलेखीकरण किये जाने सम्बन्धी गतिविधियां अनुमोदित की गयी हैं। शैक्षिक भ्रमण हेतु मात्र हरिद्वार व बागेश्वर जनपद को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- **वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना** एवं बजट में सामुदायिक अभिप्रेरण कार्यक्रम हेतु प्रबन्धन मद (0.5 प्रतिशत) में प्रचार–प्रसार हेतु प्रस्तावित रु0 191.00 लाख के सापेक्ष रु0 142.46 लाख की धनराशि की गतिविधिवार स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त स्वीकृत धनराशि का राज्य स्तर से जनपदवार स्वीकृत धनराशि के अनुपात में गतिविधिवार आवंटन कर सूची संलग्न की जा रही है। समस्त जनपद तद्नुसार ही गतिविधियों का सम्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. <u>सामुदायिक अभिप्रेरण कार्यक्रम</u> :–

- **सपनों की उड़ान** कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक अभिप्रेरण एवं जन–जागरूकता के द्वारा माता–पिता, अभिभावकों एव समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरुक करना व आर0टी0ई0 के अनुरुप विद्यालय एवं बच्चे का सर्वागींण विकास करना है।
- **वर्ष 2014–15** में सामुदायिक अभिप्रेरण कार्यक्रम ''सपनों की उड़ान'' को विशेष अवसरों पर जैसे सी0 आर0सी0 स्तर पर 02 अक्टूबर को 'गांधी जयन्ती' पर, बी0आर0सी0 स्तर पर राज्य स्थापना दिवस 09 एवं 10 नवम्बर तथा जनपद स्तर पर 14 नवम्बर को 'बाल दिवस' के अवसर पर तथा विद्यालय स्तर पर 05 सितम्बर को एस0एम0सी0 की आम बैठक में आयोजित की जाए। उक्त कार्यक्रम विशेषकर माताओं को केन्द्रित करते हुये आयोजित किए जायेंगे।
- प्रचार–प्रसार के अर्न्तगत आर0टी0ई0, शतप्रतिशत ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु संचालित कार्यक्रम से सम्बन्धित **होर्डिंग्स व वॉल पेन्टिंग के द्वारा प्रचार–प्रसार का कार्य माह जुलाई के प्रथम सप्ताह** में ही प्रारम्भ किया जाय तथा आर0टी0ई0 के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आर0टी0ई0 के प्राविधानों से सम्बन्धित दीवार लेखन सार्वजनिक स्थलों, सड़क के निकट व प्रशिक्षण स्थलों के विद्यालयों में करवायें जायें। प्रायः राज्य परियोजना कार्यालय से समय–समय निर्गत निर्देशों एवं बजट की उपलब्धता के पश्चात भी जनपदों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार कार्य समय पर सम्पन्न नहीं किये जाते हैं जिस कारण धनराशि अवशेष में रह कर लैप्स हो जाती है।

4. <u>गणवेश वितरण</u> :–

पी0ए0बी0 द्वारा स्वीकृत बजटानुसार आर0टी0ई0 के अर्न्तगत समस्त बालिकाओं एस0सी0, एस0टी0 व बी0पी0एल0 वर्ग के बालकों को **रु0 400.00** प्रति छात्र की दर से (दो सेट) गणवेश की धनराशि स्वीकृत हुई है। बजट प्राप्त होते ही जनपद स्तर से ई–हस्तानान्तरण के माध्यम से धनराशि को तत्काल विद्यालय प्रबन्धन समिति के खातों में अन्तरण करना सुनिश्चित करेंगे तथा साथ ही गणवेश क्रय एवं वितरण सम्बन्धी स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिये जायें ताकि ग्रीष्मावकाश के पश्चात पात्र बच्चों को गणवेश उपलब्ध हो सके। कतिपय जनपदों के अनुश्रवण के दौरान पाया गया है कि धनराशि की उपलब्धता के पश्चात भी धनराशि के अन्तरण में विलम्ब के कारण बच्चों को माह दिसम्बर तक गणवेश उपलब्ध नहीं हो पाया था। ध्यान रहे कि **वर्ष 2014–15** में इस प्रकार की पुनरावृति न होने पाये।

प्रायः देखा जाता है कि जनपदों में कार्यक्रम की सुगठित रणनीति न होने के कारण गतिविधियों का संचालन यथा समय नहीं हो पाता है, जिससे कार्यक्रमों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः **वर्ष 2014–15** में प्रारम्भ से ही वार्षिक पंचाग बनाकर निर्धारित समय पर कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

उपरोक्त निर्देशानुसार गतिविधियों की उपयोगिता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित बजट के अर्न्तगत ही वित्तीय नियमानुसार यथासमय आवश्यक कार्यवाही करते हुए कार्यक्रमों का अभिलेखीकरण एवं मासिक प्रगति आख्या निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित पटल को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नकः–प्रपत्र–1

भवदीय

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड़, देहरादून